अध्याय 4

लक्ष्य और उपलब्धियां

XI योजना (2007-2012) में पाया गया कि ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना और परिचालन क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित हो गया था जिससे मजबूत अखिल भारतीय ग्रिड की आवश्यकता अनिवार्य हो गई। इस लक्ष्य की दिशा में, XI योजना में 17000 मे.वा. की अंतर क्षेत्रीय हस्तांतरण क्षमता का लक्ष्य नियत था।

4.1 लक्ष्य की तुलना में निष्पादन

XI योजना के 17000 एमडब्ल्यू के लक्ष्य के प्रति पीजीसीआईएल ने 13900 मे.वा. की अंतर क्षेत्रीय क्षमता प्राप्त की और 3100 मे.वा. की कमी थी। पीजीसीआईएल ने XI योजना के दौरान अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण के लिए ₹ 54,982 करोड़ की निवेश योजना तैयार की जिसमें अंतर क्षेत्रीय लाइनें भी शामिल थी।

एमओपी ने बताया (मार्च 2014) कि कमी दक्षिण पश्चिम एचवीडीसी बैक टु बैक परियोजना के समापन और रांची- डब्ल्यूआर पूलिंग प्वाइंट 765 के.वी. एकल सर्किट लाइन वन मंजूरी में विलम्ब के कारण थी।

वन मंजूरी में विलम्ब के संबंध में उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि पीजीसीआईएल द्वारा रांची-डब्ल्यू आर पूलिंग प्वाइंट, 765 के.वी. एकल सर्किट लाइन[48] के लिए वन मंजूरी अगस्त 2010 में अर्थात अगस्त 2008 में परियोजना के निवेश अनुमोदन से दो वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी।

4.2 एमओयू में लक्ष्य निर्धारित करना

पीजीसीआईएल अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात एमओपी के साथ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन (एमओयू)[49] पर हस्ताक्षर कर रहा था और इसने 2007-08 और 2011-12 के बीच के पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 'उत्कृष्ट'' रेटिंग (उच्चतम रेटिंग) प्राप्त *की* थी।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एमओयू के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार की गुजांइश थी जो निम्नानुसार हैः

(i) अंतर क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन के लिए एमओयू लक्ष्यों को योजना लक्ष्य से कम निर्धारित किया जाना

अंतर क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन के लिए XI योजना का लक्ष्य 17000 मे.वा. था। इसके प्रति XI योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान वर्षवार एमओयू लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

---

[48] *रांची-सीपत (झारखण्ड) 756 के.वी. एकल सर्किट लाइन*

[49] *समझौता ज्ञापन (एमओयू) जैसाकि सीपीएसईज पर लागू है, भारत सरकार (अर्थात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय) और सीपीएसई के प्रबन्धन के बीच समझौता दस्तावेज है जिसमें दोनों पक्षों के समझौते के उद्देश्य और देयताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। एमओयू विभिन्न मानदंडों के लिए लक्ष्य निर्धारण करने द्वारा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति सहित सीपीएसई के परिचालन निष्पादन के मूल्यांकन के लिए है।*

तालिका 4.1

XI योजना के दौरान एमओयू लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	एमओयू लक्ष्य (मे.वा.)	एमओयू उपलब्धियां (मे.वा.)
2007-08	शून्य	शून्य
2008-09	3300	3800
2009-10	2600	शून्य
2010-11	शून्य	शून्य
2011-12	4200	5600
कुल योग	**10100**	**9400**

यह देखा गया कि:

- 2007-12 के लिए एमओयू लक्ष्य XI योजना के लक्ष्य से 6900 मे.वा. (17000 मे.वा. घटा 10100 मे.वा.) कम पर निर्धारित किए गए थे। दो वर्षों (2007-08 और 2010-11) में एमओयू लक्ष्य 'शून्य' पर निर्धारित किए गए।
- 2009-10 के दौरान उपलब्धियां एमओयू लक्ष्य से कम थी।
- XI योजना के पहले वर्ष (2007-08) में कोई एमओयू लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे जिससे पता चलता है कि परियोजना की प्रारंभिक शुरूआत में विलम्ब था।

एमओपी ने बताया कि (मार्च 2014) XI योजना में वर्षवार लक्ष्य परिकल्पित नहीं थे और एमओयू लक्ष्य निर्धारित करते समय उत्पादन परियोजना/सिस्टम आवश्यकता की तैयारी के आधार पर अन्तर क्षेत्रीय लाइनें जो आने वाले वर्ष में शुरू की जानी अपेक्षित थी, को शामिल किया गया था।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि वर्षवार एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप XI योजना के लक्ष्यों के विस्तृत विवरण से पीजीसीआईएल को XI योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलती।

(ii) गैर वित्तीय मानदंडों का घटता महत्व

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित गैर वित्तीय निष्पादन मानदंड स्मार्ट (विशिष्ट, मापयोग्य, प्राप्ति योग्य, परिणामोन्मुख, स्पष्ट) होने चाहिए और सीपीएसई की वार्षिक योजना/बजट/कारपोरेट योजना के अनुरूप होने चाहिए। पीजीसीआईएल द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू में दस[50] मुख्य गैर वित्तीय मानदंड शामिल थे। पीजीसीआईएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए एमओयू में कुछ वर्षों में परियोजना कार्यान्वयन और नेटवर्क उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण गैर वित्तीय मानदंडों के संबंध में दिए गए महत्व में कमी थी जैसा तालिका 4.2 में दिया गया है (कमी बोल्ड, इटेलिक्स में दर्शायी गई हैं)।

[50] *गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि, व्यापार विकास, निरन्तर और लगातार नव परिवर्तन के लिए आर एवं डी, परियोजना कार्यान्वयन, वाणिज्यिक लक्ष्य, मानव संसाधन विकास, नई परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन, परिचालन लक्ष्य और भंडार प्रबंधन*

तालिका 4.2

एमओयू मानदण्डों का विवरण जहाँ महत्व कम किया गया

मानदंड	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उपभोक्ता संतुष्टि (ट्रिप्पिंग्स की संख्या)	4	4	2	2	***1***	***0.5***
ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता	13	13	13	***7***	***6***	***5***
परियोजना कार्यान्वयन	20	20	19	*20*	***10***	***8***

इस प्रकार, ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता और परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख गतिविधियों में पीजीसीआईएल का निष्पादन दर्शाने वाले महत्वपूर्ण मानदण्डों में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही थी।

एमओपी ने बताया (मार्च 2014) कि इन मानदंडों के महत्व में कमी की गई थी क्योंकि गैर वित्तीय मानदंडों की श्रेणी के तहत नए मानदंड प्रारंभ किए गए थे और बिन्दुओं को पुनः आवंटित किया गया था।

तथापि, तथ्य यह है कि अन्य मानदंडों में कमी की तुलना में उपरोक्त मानदंडों से बिन्दुओं में अधिक कमी थी (जो कि मुख्य गतिविधियों में पीजीसीआईएल के निष्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं) उदाहरण के लिए 2011-12 में तीन नए मानदंड जिनका कुल महत्व 15 प्वाइंट था को प्रारंभ किया गया था। इसके विपरीत, उपरोक्त तीन मानदंडों में से 12 प्वाइंट कम किए गए थे जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है जबकि बकाया प्वाइंट अन्य आठ मानदंडों से कम किए गए थे ***(अनुबन्ध 4.1)***।